

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प
संख्या-3198 दिनांक 18.04.2016 के अन्तर्गत "झारखण्ड को स्थानीय निवासी"

प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र
(यह दो प्रतियों में आवेदक स्वहस्तलिपि में प्रस्तुत करेंगे)

1. आवेदक का नाम तथा आधार संख्या :
(यदि उपलब्ध हो)
2. आवेदक के पिता/पति/माता का नाम :
3. आवेदक का स्थायी पता :
(स्थायी पता के प्रमाण में बिजली का बिल/टेलीफोन का बिल/एल.आई.सी. /मतदाता पहचान पत्र, इनमें से कोई एक ही स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)
4. झारखण्ड राज्य के स्थानीय नागरिक होने :
का आधार (संकल्प की कंडिका-2 की जिस उप कंडिका के आधार पर आवेदक दावा प्रस्तुत कर रहा है, उस कंडिका का उल्लेख करें)
5. उपर्युक्त कंडिका-4 के दावे के समर्थन में :
प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख का विवरण
6. आवेदक का दूरभाष संख्या/मोबाईल :
संख्या/ई-मेल पता (यदि उपलब्ध हो, अन्यथा लागू नहीं अंकित करें)

(आवेदक का हस्ताक्षर)

(नाम)

तिथि

पूर्व पृष्ठ पर अपने दावे के समर्थन में आवेदक की घोषणा

जो सही हो उसे सही (✓) अंकित करें :-

1. क्या आपके माता/पिता को झारखण्ड के स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र प्राप्त है? : हाँ/नहीं
2. क्या आपके माता/पिता/पूर्वजों का नाम खतियान में दर्ज है? : हाँ/नहीं
3. क्या आपके माता/पिता भूमिहीन हैं? : हाँ/नहीं
4. क्या आप झारखण्ड में प्रचलित भाषा, संस्कृति, परम्परा से अवगत हैं? : हाँ/नहीं
5. क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता राज्य सरकार के कर्मी हैं? : हाँ/नहीं
6. क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता भारत सरकार के कर्मी हैं तथा वे झारखण्ड राज्य में पदस्थापित हैं? : हाँ/नहीं
7. क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता झारखण्ड राज्य में किसी संवैधानिक/विधिक (Statutory) पद पर आसीन हैं? : हाँ/नहीं
8. क्या आपका जन्म झारखण्ड राज्य क्षेत्र में हुआ है? : हाँ/नहीं
9. क्या आपने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर की पूरी शिक्षा झारखण्ड स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की है? : हाँ/नहीं
10. क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता विगत 30 वर्षों से झारखण्ड राज्य में निवास करते हैं और अचल सम्पत्ति अर्जित की है? : हाँ/नहीं

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य है। सूचनाओं के असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थल :
दिनांक :

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर :
आधार संख्या (वैकल्पिक) :

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु प्रतिज्ञान का प्रपत्र

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री पिता/पति श्री
..... पता-ग्राम/वार्ड/शहर पो0
थाना जिला का निवासी हूँ और मैं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-3198, दिनांक 18.04.2016 की कंडिका-2 की उप कंडिका में उल्लिखित शर्तों के आधार पर झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी की शर्त पूरी करता हूँ। (समर्थन में दस्तावेज की स्व सत्यापित हस्ताक्षरयुक्त की छाया प्रति संलग्न)

2. मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का स्थानीय निवासी नहीं हूँ और झारखण्ड राज्य में रहने के लिए प्रतिबद्ध होने का प्रतिज्ञान करता हूँ।

3. मैं यह भी प्रतिज्ञान घोषित करता/करती हूँ कि राज्य सरकार (सक्षम प्राधिकार) प्रतिज्ञान में अंकित तथ्य की जाँच में असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगी।

प्रतिज्ञान घोषित करने वाले का हस्ताक्षर एवं नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
आधार संख्या (स्वैच्छिक)

लेख्य प्रमाणक, चतरा-

शपथ-पत्र

(वंशावली)

मैं.....

पिता/पति/श्री.....

उम्र..... वर्ष, धर्म.....

पेशा.....

निवास स्थान:- ग्राम/मुहल्ला.....

पंचायत/वार्ड नं०..... थाना.....

पोस्ट..... जिला-चतरा, राज्य झारखण्ड

का रहने वाला/वाली हूँ। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि:-

यह कि मेरा वंशावली निम्नलिखित है :-

(वंशावली)

सत्यापन

मैं.....

शपथ

पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त लिखित बातें मेरे जानकारी में सही एवं सत्य है।

स्थान :

दिनांक:

स्वघोषणा

आवेदक/आवेदिका के द्वारा लिया गया शपथ पत्र

(आवासीय/जाति/आय प्रमाण पत्र हेतु मात्र)

- यह प्रमाणित किया जाता है कि, मैं.....
पिता/पति..... जन्म तिथि..... धर्म.....
जो कि राजस्व कागजातों के अनुसार जाति..... के अन्तर्गत आता है / आती है ।
- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि, मेरा/मेरी या मेरे परिवार का मुख्य पेशा..... है ।
मेरा/मेरी या मेरे परिवार के आश्रित अन्य
कृषि से..... व्यवसाय से.....
नौकरी से..... एवं अन्य स्रोतों से..... तथा सभी
प्रकार से कुल वार्षिक आय..... रु० है ।
(शब्दों में)..... रुपया है ।
- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि, मैं अंचल..... अंतर्गत
ग्राम..... के पंचायत..... थाना.....
जिसका पिन कोड..... जिला-चतरा (झारखण्ड) है का/की रहनेवाला/वाली हूँ ।
- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि, मेरे पूरे परिवार के सदस्यों में कोई भी सरकारी नौकरी में हों/नहीं
..... है । अगर कोई है तो नौकरी पेशा व्यक्ति से सम्बन्ध
का/की है ।
- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि, मैं शादी-शुदा (हों/नहीं)..... है, तथा
खतियानी रैयत के साथ मेरा सम्बन्ध का है ।

मैं..... शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि, उपरोक्त सभी बातें सत्य हैं एवं इसमें किसी भी प्रकार की गलत सूचना दिये जाने पर इसका जिम्मेवार मैं स्वयं हूँ तथा कानूनी कार्यवाही की भागीदार बनूंगा/बनूगी ।

हस्ताक्षर (पद एवं मुहर)

जिनके सम्मुख शपथ ली गयी है

(प्रधान केन्द्र संचालक, जन-प्रतिनिधि या कोई सरकारी कर्मी)

आवेदक का हस्ताक्षर